न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री वणवीर पुत्र स्व. श्री सामती, जाति रेबारी, निवासी रेबारीवास, आमथला		पुनाराम पुत्र स्व. श्री गजा जी, जाति रेबारी, निवासी रेबारीवास, आमथला व अन्य – 3

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 8/2020

दिनांक 01.07.2022

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि मौजा ग्राम आमथला, पटवार हल्का आमथला, भू.अभिलेख निरीक्षक आबूपर्वत में जमाबंदी संवत 2073 से 2076 अनुसार खसरा संख्या 747, 748/2 एवं 749 कुल रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का पिता एवं प्रार्थी का भाई गजा जी ने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि आज से 53 वर्ष पूर्व अर्थात वर्ष 1967 में अकेले स्वयं गजा जी के नाम गलत रूप से आवंटित करवाकर उक्त विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में खुद का नाम दर्ज करवा दिया। यह कि प्रार्थी एवं उसके दोनो भाईयों टीला जी एवं गजा जी अपने पिता सामती जी के देहान्त के पश्चात से ही उक्त विवादित कृषि भूमि में मौखिक बंटवारे अनुसार रूप से अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर लगातार काश्त करते थे , जिस कारण अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता गजा जी को अकेले खुद के नाम उक्त विवादित कृषि भूमि आवंटित करवाने एवं राजस्व रेकर्ड में अकेले खुद का नाम दर्ज करवाने का कोई अधिकार नही था, उक्त आवंटन पूर्णतया अवैध एवं निरस्त योग्य है तथा उक्त आवंटन प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के सर्वथा विपरित होने से प्रार्थी के हितो पर कोई बंधनकारी प्रभाव नही रखता है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने खुद के हिस्से की एक तिहाई कृषि भूमि में से 01 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि दिनांक 12.03.2005 को श्री सांकला पुत्र मेघा एवं श्री आम्बा पुत्र अचला निवासीयान नागपुरा, तहसील पिण्डवाड़ा को जरिये विक्रय विलेख के विक्रय कर दी है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अप्रार्थी संख्या 03 से मिलीभगत कर प्रार्थी को उसके हक, हिस्से, कब्जे व अधिकार की एक तिहाई कृषि भूमि अर्थात 02 बीघा भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त वाद पेश कर उक्त एक तरफा आंवटन को निरस्त करवारकर अपने हिस्से की कृषि भूमि को अलग करवाकर अपना नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

हमने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा संख्या वाली कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि है। उक्त विवादित क[illegible] प्रार्थी व उसके उत्तराधिकारियों का कोई लेना देना नही है। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी [illegible] 02 के पिता स्व. श्री गजा जी को आवंटित कृषि भूमि है, जिससे स्वयं [illegible] टीला जी तथा उसके वारीसान का कोई लेना देना नही है। कि प्रार्थी एवं उसके उत्तराधिकारियों एवं अप्रार्थी [illegible] 03 कभी भी उक्त विवादित कृषि भूमि पर काबिज काश्त नही र[illegible]। कि उक्त विवादित कृ[illegible] का कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता एवं स्व. प्रार्थी एवं उसके उत्तराधिकारियों एवं अप्रार्थी संख्या 03 के मध्य किसी प्रकार का कोई लिखित या मौखिक बंटवारा नही हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। स्टेट ने अपने जवाब में कथन किया है कि राज्य सरकार ने भू प्रबन्ध के समय भी उक्त भूमि गजा पुत्र सामती जाति रेबारी के नाम दर्ज रेकर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:27 IST
Reason: SelfAttested

हमने दिनांक 23.06.2022 को उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत आराजी मौजा ग्राम आमथला, पटवार हल्का आमथला, भू.अभिलेख निरीक्षक आबूपर्वत में जमाबंदी संवत 2073 से 2076 अनुसार खसरा संख्या 747, 748/2 एवं 749 कुल रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा आई हुई है। हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते आवश्यक है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– मौजा ग्राम आमथला, पटवार हल्का आमथला, भू.अभिलेख निरीक्षक आबूपर्वत में जमाबंदी संवत 2073 से 2076 अनुसार खसरा संख्या 747, 748/2 एवं 749 कुल रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा आई हुई है। जो कि स्टेट के जवाब के अनुसार गजा (अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता)पुत्र सामती जाति रेबारी के नाम दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि पर अपना कब्जा व खातेदारी साबित नही कर पाया जिस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा।
2. सुविधा का संतुलन :– मौजा ग्राम आमथला, पटवार हल्का आमथला, भू.अभिलेख निरीक्षक आबूपर्वत में जमाबंदी संवत 2073 से 2076 अनुसार खसरा संख्या 747, 748/2 एवं 749 कुल रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा आई हुई है। जो कि स्टेट के जवाब के अनुसार गजा (अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता)पुत्र सामती जाति रेबारी के नाम दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि पर अपना कब्जा व खातेदारी साबित नही कर पाया। अतः प्रार्थी सुविधा का संतुलन भी अपने हक में साबित करने में असफल रहा है।
3. अपूर्तनीय क्षति :– मौजा ग्राम आमथला, पटवार हल्का आमथला, भू.अभिलेख निरीक्षक आबूपर्वत में जमाबंदी संवत 2073 से 2076 अनुसार खसरा संख्या 747, 748/2 एवं 749 कुल रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा आई हुई है। जो कि स्टेट के जवाब के अनुसार गजा (अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता)पुत्र सामती जाति रेबारी के नाम दर्ज है। अतः प्रार्थी उक्त भूमि पर अपनी खातेदारी व कब्जा साबित नही कर पाया। जिस कारण अप्रार्थीगण से प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति हो प्रार्थी यह साबित नही कर पाया है। प्रार्थी अपूर्तनीय क्षति अपने हक में साबित करने में असफल रहा।

अतः प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थी उक्त भूमि पर स्वयं की खातेदारी न होकर रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो कि रेकर्ड खातेदार को अपने हक से वंचित रखना न्यायोचित नही है अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

यह कि प्रश्नगत आराजी मौजा मौजा ग्राम आमथला, पटवार हल्का आमथला, भू.अभिलेख निरीक्षक आबूपर्वत में जमाबंदी संवत 2073 से 2076 अनुसार खसरा संख्या 747, 748/2 एवं 749 कुल रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा आई हुई है।

विवेचन के आधार पर प्रार्थी 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थी उक्त भूमि पर स्वयं की खातेदारी न होकर रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो कि रेकर्ड खातेदार को अपने हक से वंचित रखना न्यायोचित नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा किये गये अपने कथनों के गुण अवगुणो का निस्तारण इस प्रकरण के म[illegible] निर्णय के समय किया जा सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर [illegible]

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे द्वारा [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:27 IST
Reason: SelfAttested

1.7.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत